न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 04/2022

अपीलार्थीगण

(1) छतरा उर्फ शान्तिलाल पुत्र कपियाजी उर्फ कपाराम, जाति– भील, निवासी– बिबलसर, तहसील– जालोर, जिला– सिरोही

(2) अणसी पुत्री कपियाजी उर्फ कपाराम, जाति– भील, निवासी– बिबलसर, तहसील– जालोर, जिला– जालोर

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) रुपाराम पुत्र कपियाजी उर्फ कपाराम, जाति– भील, निवासी– बिबलसर, तहसील– जालोर, जिला– जालोर

(2) खीमाराम पुत्र श्री खसा भील, जाति– भील, निवासी– आलपा, तहसील– शिवगंज, जिला– जालोर

(3) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

(1) अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार, अपीलार्थीगण की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री शैतान भाटी, प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 जुलाई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम जोगापुरा, पटवार हल्का जोगापुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 21.5.1986 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय समयावधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान भाटी उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 3 (तीन) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 (खीमाराम पुत्र श्री खसा भील) को जारी सम्मन इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि इस नाम का व्यक्ति ग्राम आलपा में नही रहता है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 (खीमाराम पुत्र श्री खसा भील) को इस न्यायालय द्वारा जारी सम्मन को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 05.4.2022 को अपीलार्थी पक्ष के खर्च पर छाया करवाया गया, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 (खीमाराम पुत्र श्री खसा भील) को समाचार पत्र के माध्यम से सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने से प्रत्यर्थी संख्या 2 (खीमाराम पुत्र श्री खसा भील) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कुम्हार ने बहस के दौरान अपीलार्थीगण की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण के खातेदारी स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम जोगापुरा,

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पटवार हल्का जोगापुरा के खाता संख्या नया 41 पुराना 37 खसरा संख्या 244 रकबा 0.14 बीघा व खसरा संख्या 245 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 93 बीघा 09 बिस्वा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल भील का 2/3 हिस्सा व प्रत्यर्थी रुपाराम का उक्त कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्सा है तथा अपीलार्थी अणसी का उक्त कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्सा है एवं अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी रुपाराम अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह क उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल भील ने खुमा पुत्र लखमा जी मीणा, निवासी– मोछाल, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही से खरीद की थी व अपीलाार्थी के पिता कपियाजी उर्फ कपाराम द्वारा सांकला पुत्र गमना जी, जाति– मीणा, निवासी– मोछाल से खरीद की गई थी, जिसमें आधा हिस्सा अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल का है तथा आधा हिस्सा कपियाजी पुत्र सोमाराम भील, निवासी– बिबलसर, तहसील व जिला– जालोर का है। अपीलार्थी के पिता कपियाजी पुत्र सोमाजी का स्वर्गवास दिनांक 19.11.2009 को हो जाने के बाद उक्त कृषि भूमि में आधा हिस्सा अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल का 1/6 हिस्सा एवं अपीलार्थी अणसी का 1/6 हक हिस्सा है तथा प्रत्यर्थी रुपाराम का 1/6 हक हिस्सा है। इस प्रकार, अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल का उक्त कृषि भूमि में कुल 2/3 हक हिस्सा है व इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को अधिक उपजाउ करने के लिये वित्तिय सहायता प्राप्त करने के लिये अपीलार्थीगण अनपढ़ होने के कारण पटवारी हल्का जोगापुरा से दिनांक 16.12.2021 को सम्पर्क किया व अपने उक्त खातेदारी कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल मांगी। तब पटवारी हल्का, जोगापुरा ने बताया कि आपके द्वारा अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसाजी भील को बेचान की गई है तब अपीलार्थीगण चकित हो गये कि अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल एवं अपीलार्थी के पिताजी के द्वारा की कंभी भी उक्त कृषि भूमि को बेचान नही किया गया है एवं उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त की है। जिस पर तहसील कार्यालय, शिवगंज से पुराने सभी दस्तावेज की मांग की गई जिससे अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि किसी अज्ञात लोगों के द्वारा हमारे खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि का विक्रय विलेख फर्जी व कुटरचित तैयार कर प्रत्यर्थी खीमाराम के नाम से किया गया है तथा उक्त कृषि भूमि को फर्जी व कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर गलत रुप से प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसराम भील, निवासी– आलपा के नाम से राजस्व रेकर्ड में प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा नाम दर्ज किया गया है। यह कि अपीलाथीगण द्वारा प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसाराम भील, निवासी– आलपा के बारे में जानकारी की गई तो ग्राम आलपा में खीमाराम पुत्र खसा भील का नाम का कोई व्यक्ति नही है। किसी अज्ञात लोगों के द्वारा बेनामी व्यक्ति के नाम से विक्रय विलेख करवाया है जो गलत व विधि विरुद्ध है तथा आरम्भतः शून्य है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र चखसाजी को कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। यह कि उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर अपीलार्थीगण काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि में कभी भी किसी ने कोई हक अधिकार नही जताया है। अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल व अपीलार्थीगण के पिता कपियाजी के द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि को प्रत्यर्थी खीमाराम को कभी भी बेचान नही किया गया है तथा प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसाजी भील, निवासी– आलपा बेनामी व्यक्ति है एवं इस नाम का ग्राम आलपा में कोई व्यक्ति नही है। यह कि फर्जी व कुटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण बेनामी व्यक्ति के नाम दर्ज किया गया है, जो गलत व विधि विरुद्ध है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व मौके की जांच नही की गई है, जबकि मौके पर आज भी अपीलार्थीगण काबिज काश्त है। यह कि उक्त कृषि भूमि में

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

प्रत्यर्थी खीमाराम का प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा गलत रुप से नाम दर्ज करने के कारण अपीलार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को दायर करने व स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के प्रतिकुल है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.12.2021 को पटवारी हल्का, जोगापुरा के माध्यम से हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी नही थी। अपीलार्थीगण ने जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थीगण की बदनियति व लापरवाही नही रही है। अपील पेश करने में विलम्ब सद्भाविक रुप से व जानकारी के अभाव में हुआ है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम जोगापुरा, पटवार हल्का जोगापुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 21.5.1986 को निरस्त किया जावे तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी रुपाराम का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया जावे। बहस के दौरान प्रत्यर्थी रुपाराम के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त कर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी रुपाराम का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का जोगापुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 590 को पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसा भील, निवासी– आलपा के नाम दर्ज किया गया जिसे बाद जांच तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.5.1986 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम जोगापुरा, पटवार हल्का जोगापुरा, तहसील– शिवगंज के खसरा संख्या 244 रकबा 0.14 बीघा व खसरा संख्या 245 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 93 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदार द्वारा उक्त कृषि भूमि का खीमाराम पुत्र खसा जी, जाति– भील, निवासी– आलपा, तहसील– शिवगंज को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक से विक्रय किया जाने से उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर पटवारी हल्का, जोगापुरा द्वारा प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसा जी, जाति– भील, निवासी– आलपा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 590 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.5.1986 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 21.5.1986 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.1.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 26.5.1986 के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण ने तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 21.5.1986 के विरुद्ध जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:26 IST
Reason: SelfAttested

मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का, जोगापुरा द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रत्यर्थी खीमाराम पुत्र खसा जी, जाति– भील, निवासी– आलपा के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 590 दायर किया गया, जिसे बाद जांच तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.5.1986 को स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अपीलार्थी छतरा उर्फ शान्तिलाल एवं अपीलार्थी के पिता कपियाजी द्वारा उक्त कृषि भूमि का श्री खीमाराम पुत्र खसा जी, जाति– भील, निवासी– आलपा को बेचान नही किया गया है तो इस हेतु अपीलार्थीगण को पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 जुलाई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:26 IST
Reason: SelfAttested